<u>न्यायालय – न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, केकड़ी, जिला–अजमेर</u>

पीठासीन अधिकारी	**–**	**शुभम गुप्ता, आर.जे.एस.**
फौजदारी नियमित प्रकरण संख्या	**–**	**288/2017**
सी.आई.एस. नंबर	**–**	**316/2017**
सीएनआर नंबर	**–**	**RJAJ140005542017**

राजस्थान राज्य

.....अभियोजन

ब ना म

1. हनुमान पुत्र माधूलाल, उम्र 24 साल, निवासी सांपला थाना केकड़ी, जिला अजमेर।
2. सोहनलाल पुत्र भूरालाल, उम्र 25 साल, निवासी सांपला थाना केकड़ी, जिला अजमेर।

.....अभियुक्तगण

<u>अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता व 146/196 एमवी एक्ट</u>

उपस्थितिः–

1. अभियोजन अधिकारी वास्ते राज्य
2. श्री कमलेश कांसोटिया, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण

–––––

:: <u>नि र्ण य</u> :: **दिनांकः 18.03.2026**

1. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 27.05.2016 को प्रार्थी हगामी लाल ने पुलिस थाना केकड़ी के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 21.05.2016 को उसका भाई हरिराम पुत्र सुखदेव, नंदू देवी पत्नी हरिराम, सीता देवी पत्नी हगामी लाल, निवासी मिया मोटरसाईकिल से सवाईपुरा से वाया बीलिया होते हुए उनके गांव मिया आ रहे थे। ये लोग बीलिया पहुंच कि जालिया की तरफ से वेन संख्या आरजे–26–यूए–0536 आई, जिसके चालक ने उक्त वेन को तेज रफ्तार, गफलत एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर रोंग साईड में आकर उसके भाई हरिराम, भाभी नंदू देवी, पत्नी सीता देवी जो कि मोटरसाईकिल पर थे, के टक्कर मार दी, जिससे तीनों के शरीर पर चोटें आई, जिनको दुर्घटना के तुरंत पश्चात राजकीय चिकित्सालय केकड़ी दिखाया, जहां से उसी रात्रि को नंदू देवी व सीता के फ्रेक्चर हो जाने से राजकीय चिकित्सालय देवली, जिला टोंक भर्ती कराया। नंदू के पैर का आपरेशन व सीता के हाथ का

आपरेशन कर रॉड, स्क्रू व प्लेट लगाए गए। नंदू व सीता अभी भी राजकीय चिकित्सालय देवली में भर्ती है। यह दुर्घटना वेन संख्या आरजे–26–यूए–0536 के चालक की गलती से घटित हुई है। दुर्घटना दिनांक 21.05.2016 को सांय करीब 6–06.30 बजे की बात है.....आदि। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना केकड़ी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 314/16 अंतर्गत धारा 279, 337 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया एवं बाद अनुसंधान पुलिस थाना केकड़ी द्वारा अभियुक्त हनुमान के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता व 146/196 एमवी एक्ट व अभियुक्त सोहनलाल के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 146/196 एमवी एक्ट में अपराध प्रमाणित पाकर उक्त धाराओं में अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया, जिस पर न्यायालय द्वारा बहस प्रसंज्ञान सुनी जाकर उक्त अभियुक्त हनुमान के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता व 146/196 एमवी एक्ट व अभियुक्त सोहनलाल के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 146/196 एमवी एक्ट में प्रसंज्ञान लिया गया तथा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. अभियुक्त हनुमान को अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 146/196 एमवी एक्ट व अभियुक्त सोहनलाल को अपराध अंतर्गत धारा 146/196 एमवी एक्ट के तहत आरोप सारांश मौखिक सुनाए व समझाए तो अभियुक्तगण ने आरोपों को सुन–समझकर अस्वीकार किया तथा अन्वीक्षा चाही।

3. तत्पश्चात्, यह प्रकरण विधिवत सुनवाई हेतु श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर के आदेश से न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01, केकड़ी से स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। प्रकरण को इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया गया।

–:अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाह सूची:–

क. अभियोजन

साक्षी का क्रम	**साक्षी का नाम**
पीडब्ल्यू–1	हगामी लाल
पीडब्ल्यू–2	गोपाल
पीडब्ल्यू–3	बजरंग
पीडब्ल्यू–4	शंकर

पीडबल्यू–4	श्रीराम
पीडब्ल्यू–5	नंदू देवी
पीडब्ल्यू–6	सीता
पीडब्ल्यू–7	शंकरलाल कुमावत
पीडब्ल्यू–8	मानसिंह चौधरी
पीडब्ल्यू–9	भोपाल सिंह
पीडब्ल्यू–10	डॉ. विशाल जैन

ख. बचाव

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम
–	–

–:अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श सूची:–

क. अभियोजन

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श संख्या
1.	तहरीरी रिपोर्ट	प्रदर्श पी–1
2.	चाक एफआईआर	प्रदर्श पी–2
3.	नक्शा मौका	प्रदर्श पी–3
4.	फर्द सुपुर्दगी वाहन	प्रदर्श पी–4
5.	फर्द जब्ती वाहन	प्रदर्श पी–5
6.	चोट प्रतिवेदन हरिराम	प्रदर्श पी–6
7.	चोट प्रतिवेदन नंदू देवी	प्रदर्श पी–7
8.	चोट प्रतिवेदन सीता देवी	प्रदर्श पी–8
9.	धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस	प्रदर्श पी–9
10.	धारा 161 सीआरपीसी बयान श्रीराम	प्रदर्श पी–9
11.	नोटिस धारा 134 एमवी एक्ट	प्रदर्श पी–14
12.	मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट	प्रदर्श पी–15

13.	एक्स रे प्लेट कवरिंग	प्रदर्श पी–16
14.	एक्स रे प्लेट	प्रदर्श पी–17
15.	एक्स रे रिपोर्ट	प्रदर्श पी–18
16.	एक्स रे प्लेट कवरिंग	प्रदर्श पी–19
17.	एक्स रे प्लेट	प्रदर्श पी–20
18.	एक्सरे रिपोर्ट	प्रदर्श पी–21

ख. बचाव

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श डी संख्या
1.	–	–

4. दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार गवाहान को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजात को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

5. अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत लेखबद्ध किये गये, जिसमें अभियुक्तगण ने गवाहान के साक्ष्य को गलत होना तथा झूठा फंसाया जाना जाहिर किया। अभियुक्तगण ने प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश करना नहीं चाहा।

6. उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु है:–

(1) क्या अभियुक्त हनुमान ने दिनांक 21.05.2016 को समय 06.00 पीएम या उसके लगभग बीलिया में जालिया की तरफ से वेन संख्या

आरजे–26–यूए–0536 को तेजगति व लापरवाही से चलाते हुए मोटरसाईकिल संख्या आरजे–01–एसएन–4335 पर जा रहे परिवादी के भाई हरिराम व उसके साथ नंदू देवी व सीता देवी के टक्कर मार दी जिससे आहतगण के साधारण व गंभीर चोट कारित हुई तथा उक्त वैन का बीमा नहीं होने के पश्चात भी उसका चालन किया तथा अभियुक्त सोहनलाल ने स्वयं की वेन संख्या आरजे–26–यूए–0536 का बीमा नहीं होने के पश्चात भी अभियुक्त हनुमान को वेन चलाने हेतु दी?

(2) यदि हां, तो दण्ड की मात्रा क्या होगी?

7. उपर्युक्त विचारणीय बिंदु पर अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है। अतः अभियुक्तगण को उक्त आरोपों में दोषसिद्ध करार दिया जावे। दूसरी ओर से बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि हस्तगत प्रकरण में ऐसा एक भी प्रलेखीय व मौखिक साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो कि उक्त दुर्घटना अभियुक्तगण द्वारा कारित की गई है तथा उसकी लापरवाही से आहतगण के चोटें कारित हुई हो। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से दोषमुक्त करने का निवेदन किया।

8. उभयपक्षों के तर्कों पर तथा पत्रावली पर मौजूद समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया।

9. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ द्वारा हस्तगत प्रकृति के प्रकरणों के संबंध में अपने न्यायिक दृष्टांत संग्राम सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1990 सी.आर.एल.आर. (राज.) 494 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि अभियुक्त कि दोषसिद्धि के लिये पहले ये सिद्ध करना आवश्यक होगा कि व्यक्ति दुर्घटना के समय किसी मोटरयान का चालक था और तत्पश्चात ये प्रश्न उठ सकता है कि क्या वह दुर्घटना के समय मोटरयान को लापरवाही और असावधानी से चला रहा था।

10. उक्त न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में हस्तगत प्रकरण में सर्वप्रथम न्यायालय को यह देखना है कि क्या अभियोजन अपनी साक्ष्य के माध्यम से यह सिद्ध करने में सफल रहा है कि वरवक्त दुर्घटना कथित दुर्घटनाकारित वाहन संख्या आरजे–26–यूए–0536 को अभियुक्त हनुमान द्वारा संचालित किया जा रहा था?

11. इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करें तो यह प्रकट होता है कि अभियोजन द्वारा अपने मुख्य गवाह के तौर पर पी.ड. 4 श्रीराम व पी.ड. 5 नंदू देवी व पी.ड. 6 सीता को परीक्षित करवाया गया है, जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में घटना की पुष्टि करते हुए यह कथन किया है कि वे मोटरसाईकिल पर बैठकर जा रहे थे। रास्ते में एक वेन चालक ने तेज गति व लापरवाही से वेन चलाकर रोंग साईड में आकर सामने से टक्कर मार दी। जिससे उनके चोटें आई। गवाहान द्वारा उनके चोट प्रतिवेदन क्रमशः प्रदर्श पी–6, पी–7 तथा पी–8 की पुष्टि की गई। जिरह के दौरान गवाह पी.ड. 4 श्रीराम ने यह सुझाव सही बताया कि वह वैन के नंबर नहीं बता सकता तथा यह सुझाव सही बताया कि उसने थाने में रिपोर्ट नहीं की। जिरह के दौरान गवाह पी.ड. 5 नंदू देवी तथा पी.ड. 6 सीता ने यह सुझाव सही बताया कि एक्सीडेंट किसने किया यह वह नहीं बता सकते तथा यह सुझाव सही बताया है कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उसके नंबर उन्हें पता नहीं है। उक्त गवाहान के बयानों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि हालांकि गवाहान प्रकरण में आहतगण के तौर पर परीक्षित हुए हैं, परंतु गवाहान द्वारा ऐसे कोई कथन नहीं किए गए हैं, जिनसे यह प्रकट होता हो कि वरवक्त दुर्घटना कथित दुर्घटना कारित वैन को अभियुक्त हनुमान द्वारा संचालित किया जा रहा हो। गवाहान ने अपने बयानों में स्पष्ट रूप से यह सुझाव सही बताया है कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, उसके नंबर उन्हें याद नहीं है तथा एक्सीडेंट किसने किया था यह भी उन्हें नहीं पता है।

12. इसी क्रम में पी.ड. 1 के तौर पर परिवादी हगामी लाल परीक्षित हुआ है, जिसने एक्सीडेंट की घटना की पुष्टि की है, परंतु अभियुक्तगण की पहचान के संबंध में गवाह द्वारा कोई कथन नहीं किए गए हैं। गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दुर्घटना वैन संख्या आरजे–26–यूए–0536 के चालक की लापरवाही से हुई थी। जिरह के दौरान गवाह ने यह कथन किया है कि जब दुर्घटना हुई तब वह मौके पर नहीं था, बाद में पहुंचा था। उसने मुख्य परीक्षण में गाड़ी के नंबर बताए हैं, लेकिन वह वापस भूल गया है। गवाह ने कथन किया है कि जब दुर्घटना कारित हुई तब वेन का चालक कौन था यह वह नहीं बता सकता है। उक्त गवाह के बयानों के अवलोकन से भी यह प्रकट होता है कि गवाह द्वारा अभियुक्त की पहचान अथवा अभियुक्त के मौके पर उपस्थिति के संबंध में कोई स्पष्ट कथन नहीं किए गए हैं। गवाह पी.ड. 1 द्वारा अपने मुख्य परीक्षण के दौरान एफआईआर प्रदर्श पी–1 तथा चाक एफआईआर प्रदर्श पी–2 की पुष्टि की गई है। उक्त दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात में यह

अंकित नहीं है कि वरवक्त दुर्घटना कथित दुर्घटना कारित वैन को अभियुक्त हनुमान द्वारा संचालित किया जा रहा हो। अतः उक्त समस्त गवाहान के बयानों के आधार पर इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है कि वरवक्त दुर्घटना कथित दुर्घटना कारित वैन को अभियुक्त हनुमान द्वारा संचालित किया जा रहा हो।

13. इसके अतिरिक्त पत्रावली पर पी.ड. 2 के तौर पर गोपाल तथा पी.ड. 3 के तौर पर बजरंग फर्द नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी–3 के गवाह के तौर पर परीक्षित हुए हैं, परंतु जिरह के दौरान गवाहान ने यह कथन किया है कि प्रदर्श पी–3 पर उनके खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाए गए थे तथा यह सुझाव सही बताया है कि दुर्घटना उनके सामने नहीं हुई थी। उक्त गवाहान के बयानों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अधिवक्ता अभियुक्तगण जिरह के दौरान गवाहान के मुख्य परीक्षण के कथनों का खण्डन करने में सफल रहे हैं। अतः ऐसी स्थिति में उक्त गवाहान के बयान भी अभियोजन को किसी भी प्रकार समर्थन प्रदान नहीं करते हैं।

14. इसी क्रम में पी.ड. 4 के तौर पर शंकर फर्द सुपुर्दगी प्रदर्श पी–4 तथा फर्द जब्ती मारूति वेन प्रदर्श पी–5, गवाह पी.ड. 7 शंकरलाल फर्द जब्ती मोटरसाईकिल प्रदर्श पी–4 तथा फर्द जब्ती मारूति वैन प्रदर्श पी–5 के गवाह के तौर पर परीक्षित हुए हैं। जहां गवाह पी.ड. 4 शंकर ने अपनी जिरह के दौरान यह कथन किया है कि उसके हस्ताक्षर खाली कागज पर करवाए थे तथा उसके सामने किसी वाहन को सुपुर्द नहीं किया था। वहीं गवाह पी.ड. 7 शंकरलाल ने जिरह के दौरान यह सुझाव सही बताया है कि दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को उसके सामने जब्त नहीं किया था। उक्त गवाहान के बयानों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अधिवक्ता अभियुक्तगण जिरह के दौरान गवाहान के मुख्य परीक्षण के कथनों का खण्डन करने में सफल रहे हैं। अतः ऐसी स्थिति में उक्त गवाहान के बयान भी अभियोजन को किसी भी प्रकार समर्थन प्रदान नहीं करते हैं।

15. इसी क्रम में पी.ड. 8 के तौर पर मानसिंह चौधरी परिक्षित हुआ है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में दौराने अनुसंधान हैडकांस्टेबल श्रीराम द्वारा किए जाने तथा अनुसंधान के दौरान की गई समस्त कार्यवाही की पुष्टि की है तथा यह कथन किया है कि वाहन स्वामी सोहनलाल को रामसिंह द्वारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस दिया गया जो प्रदर्श पी–9 है। जो ए से बी उसका कलमी है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। ई से एफ वाहन स्वामी के हस्ताक्षर हैं व जी से

एच उसका जवाब है। मुताबिक जवाब वक्त दुर्घटना वाहन को हनुमान रैगर द्वारा चलाया जाना बताया गया था, जिस पर हनुमान को दिया गया धारा 134 एमवी एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी–14 है, जो ए से बी रामसिंह का कलमी है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है, ई से एफ हनुमान का जवाब है व जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। जिरह के दौरान गवाह ने यह सुझाव सही बताया कि उक्त प्रकरण में उसके द्वारा कोई अनुसंधान नहीं किया गया है तथा यह सुझाव सही बताया कि वह घटनास्थल पर नहीं गया। उक्त बयानों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि हालांकि गवाह द्वारा फर्द प्रदर्श पी–9 व पी–14 की पुष्टि की गई है, परंतु प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी रामसिंह की मृत्यु हो जाने के कारण वे न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं हो सका है, जिस कारण केवलमात्र गवाह पी.ड. 8 मानसिंह चौधरी के बयानों के आधार पर उक्त फर्दें संदेह से परे सिद्ध नहीं होती है।

16. इसी क्रम में पी.ड. 9 के तौर पर भोपाल सिंह वाहन संख्या आरजे–26–यूए–0536 के मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श पी–15 के गवाह के तौर पर परीक्षित हुआ है तथा गवाह पी.ड. 10 डॉ. विशाल जैन चिकित्सीय साक्षी के तौर पर परीक्षित हुआ है, जिसने चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–6, पी–7 व पी–8 की पुष्टि की है। उक्त गवाहान के बयानों मात्र से यह सिद्ध नहीं होता है कि वरवक्त दुर्घटना कथित दुर्घटना कारित वैन को अभियुक्त हनुमान द्वारा संचालित किया जा रहा हो।

17. अतः पत्रावली पर मौजूद संपूर्ण सामग्री से यह सिद्ध नहीं होता है कि वरवक्त दुर्घटना कथित दुर्घटना कारित वैन को अभियुक्त हनुमान द्वारा संचालित किया जा रहा था। फलतः अभियुक्त हनुमान पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 146/196 एमवी एक्ट संदेह से परे सिद्ध नहीं होता है।

18. इसके अतिरिक्त अभियुक्त सोहनलाल के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 146/196 एमवी एक्ट का अपराध आरोपित है। उक्त अपराध के संबंध में किसी भी गवाह द्वारा कोई कथन नहीं किए गए हैं। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त सोहनलाल पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 146/196 एमवी एक्ट सिद्ध नहीं होता है।

19. अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष अभियुक्त हनुमान के विरुद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 146/196 एमवी एक्ट व अभियुक्त सोहनलाल के विरूद्ध आरोपित

अपराध अंतर्गत धारा 146/196 एमवी एक्ट संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: <u>आदेश</u> ::

20. अतः अभियुक्त **1.** हनुमान पुत्र माधूलाल, उम्र 24 साल, निवासी सांपला थाना केकड़ी, जिला अजमेर को अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 146/196 एमवी एक्ट व अभियुक्त **2.** सोहनलाल पुत्र भूरालाल, उम्र 25 साल, निवासी सांपला थाना केकड़ी, जिला अजमेर को अपराध अंतर्गत धारा 146/196 एमवी एक्ट के आरोप में साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण की नियमित उपस्थिति बाबत् पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण में जब्तशुदा मालखाना (मुताबिक फर्द जब्ती) यदि कोई हो तो नियमानुसार बाद गुजरने मियाद अपील निस्तारित किया जावें एवं यदि जब्तशुदा मालखाना सुपुर्दगीनामे एवं जमानतनामे पर सुपुर्द किया गया हो तो उसका सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन नियमानुसार निरस्त समझा जावें।

{शुभम गुप्ता }
न्यायिक मजिस्ट्रेट, केकड़ी
जिला अजमेर

21. निर्णय व आदेश आज दिनांक 18.03.2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर विवृत्त न्यायालय में मुद्रांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।

{ शुभम गुप्ता }
न्यायिक मजिस्ट्रेट, केकड़ी
जिला अजमेर